संख्या-21/2016/920/84-1-2016-482/2015

प्रेषक,

बाल कृष्ण त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 17 नवम्बर, 2016

विषय- विधिक माप विज्ञान विभाग में निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर नये वाहन क्रय किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-345/निविमावि-लेखा-7(25)मॉग/2016-17 दिं0 27-10-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग उ0प्र0 लखनऊ के निष्प्रयोज्य घोषित वाहन के स्थान पर नये वाहन MARUTI SUZKI Maruti CiazVsi (Euro-iv Compliant) प्रतिस्थापित किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय रू0 6,93,103/- (रूपया छ लाख तिरानबे हजार एक सौ तीन) मात्र की शासकीय नियमों के तहत व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- वाहन क्रय के सम्बन्ध में आने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016'17 में अनुदान संख्या-21 "3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय के मानक मद-14- कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कार/मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का अन्य मदों में व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-7/947/दस-2016, दिनॉक 07 नवम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

बाल कृष्ण त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या-21/2016/920/84-1-2016-482/2015 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
8- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in